"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 52] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 30 दिसम्बर 2011—पौष 9, शक 1933

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 जुलाई 2011

क्रमांक 1545/592/अव./2011/1-8/स्था.—श्री दिलीप अग्रवाल, विशेष सहायक, मान. मंत्री उच्च शिक्षा, जल संसाधन को दिनांक 28-7-2011 से 12-8-2011 तक 16 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 13, 14 एवं 15-8-2011 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री अग्रवाल, आगामी आदेश तक विशेष सहायक, मान. मंत्री उच्च शिक्षा, जल संसाधन के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.

3. अवकाश अवधि में श्री अग्रवाल को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अग्रवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 5 अगस्त 2011

क्रमांक 1287/607/अव./2011/1-8/स्था.—श्री सैयद कौसर अली, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 23-8-2011 से 3-9-2011 तक 12 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 20, 21, 22 एवं 4-9-2011 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री अली, आगामी आदेश तक अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री अली को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अली अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 5 अगस्त 2011

क्रमांक 1289/619/अव./2011/1-8/स्था.—श्री जी. एल. सांकला, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 8-8-2011 से 12-8-2011 तक 05 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 7, 13, 14 एवं 15-8-2011 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सांकला, आगामी आदेश तक अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री सांकला को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सांकला अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 6 अगस्त 2011

क्रमांक 1293/631/अव./2011/1-8/स्था.—श्री पुनीत कुमार जोशी, अवर सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय को दिनांक 16-8-2011 से 19-8-2011 तक 04 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 13, 14, 15, 20, 21 एवं 22-8-2011 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री जोशी, आगामी आदेश तक अवर सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री जोशी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जोशी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकुन्द गजभिये, अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 12 अगस्त 2011

क्रमांक 1337/634/अव./2011/1-8/स्था.—श्री सुधीर कुमार अग्रवाल, विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को दिनांक 1-8-2011 से 30-8-2011 तक 30 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 31-7-2011 एवं 31-8-2011 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री अग्रवाल, आगामी आदेश तक विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री अग्रवाल को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अग्रवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 16 अगस्त 2011

क्रमांक 1341/651/अव./2011/1-8/स्था.—श्री सी. पी. साहू, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जन सम्पर्क विभाग को दिनांक 27-6-2011 से 1-7-2011 तक 05 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 26-6-2011 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री साहू, आगामी आदेश तक अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जन सम्पर्क विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री साहू को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री साहू अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 19 अगस्त 2011

क्रमांक 1345/649/अव./2011/1-8/स्था.—श्री एल. डी. चोपड़े, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 16-8-2011 से 19-8-2011 तक 04 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 13, 14, 15, 20, 21 एवं 22-8-2011 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री चोपड़े, आगामी आदेश तक अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री चोपड़े को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री चोपड़े अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 19 अगस्त 2011

क्रमांक 1347/643/अव./2011/1-8/स्था.—श्री एस.सी. श्रीमाल, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, संसदीय कार्य विभाग को दिनांक 1-8-2011 से 4-8-2011 तक 04 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 31-7-2011 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री श्रीमाल, आगामी आदेश तक अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, संसदीय कार्य विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री श्रीमाल को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री श्रीमाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. वर्मा, अवर सचिव.

विधि एवं विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 दिसम्बर 2011

क्र. 8564/2830/21-ब/छ.ग./2011.—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री क्षितिज कुमार दुबे, अधिवक्ता, दंतेवाड़ा जिला-दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा को, शासन की ओर से पैरवी करने के लिए, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक की अवधि, जो भी पहले हो, के लिये परिवीक्षा पर अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक, दंतेवाड़ा जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

रायपुर, दिनांक 2 दिसम्बर 2011

क्र. 8566/2830/21-ब/छ.ग./2011.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री क्षितिज कुमार दुबे, अधिवक्ता, दंतेवाड़ा जिला-दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा को शासन की ओर से पैरवी करने के लिए, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक की अवधि, जो भी पहले हो, के लिये परिवीक्षा पर अतिरिक्त लोक अभियोजक, दंतेवाड़ा जिला-दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

रायपुर, दिनांक 2 दिसम्बर 2011

क्र. 8568/2830/21-ब/छ.ग./2011.—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्रीमती ममता शर्मा, अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक एवं अतिरिक्त लोक अभियोजक दंतेवाड़ा जिला-दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा को, शासन की ओर से पैरवी करने के लिए, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक की अवधि, जो भी पहले हो, के लिये परिवीक्षा पर शासकीय अभिभाषक, दंतेवाड़ा जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

रायपुर, दिनांक 2 दिसम्बर 2011

क्र. 8570/2830/21-ब/छ.ग./2011.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा श्रीमती ममता शर्मा, अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक एवं अतिरिक्त लोक अभियोजक दंतेवाड़ा जिला-दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा को, शासन की ओर से पैरवी करने के लिए, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक की अवधि, जो भी पहले हो, के लिये परिवीक्षा पर लोक अभियोजक, दंतेवाड़ा जिला-दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम कुमार तिवारी, अतिरिक्त सचिव.

परिवहन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 दिसम्बर 2011

क्रमांक 614/परि.वि./2011.—छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 के नियम 70-क के उप-नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, विद्यमान मार्ग संचालकों को नियम 70-क के प्रावधानों से और छूट प्रदान करने की दृष्टि से, विभाग के आदेश क्र. एफ 5-2/आठ/परि./2011, दिनांक 08 अगस्त, 2011 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त आदेश में,—

1. खण्ड 1 में, शब्द "बारह माह" के स्थान पर, शब्द "चौबीस माह की अवधि" प्रतिस्थापित किया जाये.

2. खण्ड 4 में, शब्द "छः माह की अवधि" के स्थान पर, शब्द "बारह माह की अवधि" प्रतिस्थापित किया जाये.

No. 614/परि.वि./2011.— In exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 70-A of the Chhattisgarh Motor Vehicles Rules, 1994, the State Government hereby, makes the following amendment in Department's Order No. F. 5-2/VIII/Tr./2011, dated 08th August, 2011, with a view to grant further relaxation to the existing route operators from the provisions of rule 70-A, namely :—

AMENDMENT

In the said order,—

1. In clause 1, for the words "a period of twelve months", the words "a period of twenty four months" shall be substituted.

2. In clause 4, for the words "a period of six months", the words "a period of twelve months" shall be substituted.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. मरावी, सचिव.

गृह (जेल) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 नवम्बर 2011

क्रमांक एफ-1-10/तीन-जेल/2011.—राज्य शासन एतद्द्वारा जेल नियमावली के नियम 815 (1) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए निम्नलिखित व्यक्तियों को तीन वर्ष कालावधि के लिये नीचे कॉलम में दर्शित जेलों के लिए अशासकीय संदर्शक नियुक्त करता है :—

क्र. (1)	जेल का नाम (2)	क्र. (3)	अशासकीय संदर्शक का नाम (4)	पता (5)
1.	के. जे. रायपुर	1	श्री अशोक ठाकुर	रामकुंड लक्ष्मीनारायण मंदिर के पास, रायपुर
		2	श्री विष्णु नामदेव	चूनाभट्ठी काली मंदिर के पास, रायपुर
		3	श्री शिव भोई	गौतम नगर, लाखे नगर चौक के पास, रायपुर
		4	श्री नेमराज बाग	उत्कल नगर, आकाशवाणी सिविल लाईन, रायपुर
		5	श्री सोहन जंघेल	लोधी पारा महात्मा गांधी वार्ड, जयहिंद चौक, रायपुर
		6	श्री बबला होतवानी	बबला सीमेंट हाऊस, संत कंवरराम चौक, कटोरा तालाब, रायपुर.
		7	श्रीमती नीतू सोनी	धरम नगर, गणेश चौक, पंकज विक्रम वार्ड, रायपुर
		8	श्रीमती सरस्वती आडिल	श्रीराम नगर, चंगोरा भाटा, रायपुर
2.	उप जेल बलौदाबाजार	1	श्री भैरव देवांगन	ग्रा. पो. अर्जुनी, तह. बलौदाबाजार
		2	श्री सुरेन्द्र टिकरिहा	ग्रा. पो. तह. बलौदाबाजार
3.	उप जेल गरियाबंद	1	श्री अनुप भोसले	मुकाम पो. गरियाबंद
		2	श्री राकेश शर्मा	मु. पो. छूरा
4.	जिला जेल धमतरी	1	श्री शिरोमणी राव घोरपडे	धमतरी
		2	श्री चैनसिंह साहू	परखंदा
		3	श्री राकेश चौबे	नगरी, जिला-धमतरी
5.	जिला जेल महासमुन्द	1	श्री विपिन शर्मा	महासमुन्द
		2	श्री सुरेश बंसल	पिथौरा
		3	श्री शंकर चंद्राकर	वार्ड क्र. 01, महासमुन्द
6.	केन्द्रीय जेल दुर्ग	1	श्री अजय तिवारी	यदुवीर भवन, सुभाष नगर, दुर्ग
		2	श्री विजय अग्रवाल	हुडको भिलाई
		3	श्री राणा प्रेम सिंह	नेहरू नगर, भिलाई
		4	श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता	रश्मि डेकोरेशन पदमनाभपुर, दुर्ग
		5	श्री राजेन्द्र पाध्ये	बुद्ध विहार चौक आर्यनगर
		6	श्री संदीप जैन	जैन मंदिर रोड गोधी चौक, दुर्ग
		7	श्रीमती पार्वती ढीढी	ग्रा. पो. धनोरा, तह. दुर्ग
		8	श्रीमती मधु शर्मा	उमरेबाड़ा कसारीडीह, दुर्ग
7.	उप जेल बालोद	1	श्री यादराम साहू	गुरूर
		2	श्री लक्ष्मीचंदन नूणीवाल	पुराना बस स्टेण्ड, बालोद
8.	उप जेल बेमेतरा	1	श्री मिन्टू सलूजा	पंजाबी पारा बेमेतरा
		2	श्री दिनेश ठाकुर	बेमेतरा
9.	जिला जेल राजनांदगांव	1	श्री संजय देवांगन	बजरंगपुर नवागांव, वार्ड क्र. 01, राजनांदगांव
		2	श्री जसराज राठौर	वार्ड नं. 35, हाथीथान पारा, राजनांदगांव
		3	श्रीमती अलका देशमुख	सृष्टि कालोनी, राजनांदगांव
10.	उप जेल डोंगरगढ़	1	श्री प्रकाश चौरडिया	जैन मंदिर के पास डोंगरगढ़
		2	श्री मोबीन खान	भगतसिंह चौक डोंगरगढ़

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11.	उप जेल कबीरधाम (कवर्धा)	1	श्री भरत लाल सोनी	अधिवक्ता राजमहल चौक, कवर्धा
		2	श्री चन्द्रप्रकाश राजपूत	अधिवक्ता
12.	जिला जेल कांकेर	1	श्री संदीप चौबे	मांझा पारा, कांकेर
		2	श्री प्रदीप जायसवाल	सिंगारभाटा कांकेर
		3	श्री भरत मटियारा	ठेलका बोर, एकता नगर, कांकेर
13.	उप जेल नारायणपुर	1	श्री जगजीत सिंह राठौर	पुराना बस स्टेण्ड नारायणपुर
		2	श्री देवी सिंह मांझी	कलेक्ट्रेट रोड, नारायणपुर
14.	केन्द्रीय जेल जगदलपुर	1	श्री दुर्गा राव	बालाजी वार्ड, सर्किट हाऊस रोड, जगदलपुर
		2	श्री तेजनारायण दुबे	गांधीनगर वार्ड, गोयल धर्मशाला के सामने, जगदलपुर
		3	श्रीमती मनीषा तिवारी	अम्बेडकर वार्ड, मेन रोड, जगदलपुर
		4	श्रीमती मालती आचार्य	सुभाष वार्ड, पंचरास्ता चौक, जगदलपुर
		5	श्री मनोहरदत्त तिवारी	रमैया वार्ड, लुनियाजी के घर के सामने, जगदलपुर
		6	श्रीमती चमेली यादव	पावर हाऊस चौक, विजय वार्ड, जगदलपुर
		7	श्री रमेश गांधी	पैलेस रोड, नटवरलाल दुलनदास हार्डवेयर दुकान, जगदलपुर.
		8	श्री प्रेम थवानी	गोल बाजार, जगदलपुर
15.	जिला जेल दन्तेवाड़ा	1	श्री दुर्गा सिंह	दन्तेवाड़ा
		2	श्री मनोज देव	सुकमा
		3	श्री राजा गुप्ता	गीदम
16.	केन्द्रीय जेल बिलासपुर	1	श्री मनोज दुबे	मु. पो. सिरगिट्टी
		2	श्री कमलेश गिरी गोस्वामी	अधिवक्ता मु. चुनचुनिया, पो. सरगवां
		3	श्री रामानुज श्रीवास	थाना पो. मस्तूरी
		4	श्री राजेन्द्र अग्रहरि	मु.पो. मटियारी सीपत
		5	श्री नारायण तसवड़कर	मध्य नगरीय चौक, बिलासपुर
		6	श्री रिंकू मित्रा	विद्या नगर गायत्री मंदिर के पास, बिलासपुर
		7	श्रीमती सरोजनी कुर्मी	सीपत रोड सरकंडा, बिलासपुर
17.	उप जेल पेन्ड्रा	1	श्री भगत मेटवानी	गौरेला पेन्ड्रा रोड
		2	श्रीमती दीना बाई ध्रुव	पेन्ड्रा जिला बिलासपुर
18.	जिला जेल कोरबा	1	श्री नूतन कुमार रजवाड़े	अधिवक्ता, पावर हाऊस रोड, कोरबा
		2	श्री तिर्थेश्वर वैष्णव	दुर्गा पंडाल बुधवारी बाजार, कोरबा
		3	श्री राजकुमार अज्ञेय (अधिवक्ता)	भदरापारा, बालको
19.	उप जेल कटघोरा	1	श्री नरेन्द्र पाटनकर	ग्राम लटशीरा, कटघोरा
		2	श्री श्रवण कुमार बंजारा	ई 460 एचटीपीपी कॉलोनी दर्री, कोरबा
20.	जिला जेल जांजगीर	1	श्री प्रशांत सिंह ठाकुर	जांजगीर
		2	श्री मनहरण खुंटे	मेहदी
		3	श्री रामअवतार अग्रवाल	स्टेशन रोड, शक्ति, जि.-जांजगीर-चांपा
21.	उप जेल सक्ति	1	श्री रामअवतार अग्रवाल	सक्ति
		2	डॉ. खिलावन साहू	नगरदा
22.	जिला जेल रायगढ़	1	श्री प्रमोद गुप्ता	मु.पो. त्रिभुवना, ब्लाक-पुसौर, जि.-रायगढ़
		2	श्री ज्ञानेश्वर सिंह गौतम	गौतम लॉज, सिविल लाईन, दरोगा पारा, रायगढ़
		3	श्री मंजुल दीक्षित	बैकुण्ठपुर, रायगढ़
23.	जिला जेल जशपुर	1	श्री आलोक राय	नगरपालिका आफिस के निकट, जशपुर नगर
		2	श्री विकास गुप्ता	भगलपुर
		3	श्रीमती उमा सिन्हा	नगटोली
24.	केन्द्रीय जेल अंबिकापुर	1	श्री कांशीनाथ तिवारी	मिशन चौक हॉस्पिटल के पास, अंबिकापुर
		2	श्री संतोष दास	नमनाकला, पावर हाऊस के पास, अंबिकापुर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		3	श्री कैलाश ठाकुर	वार्ड नं. 04, गांधीनगर, अंबिकापुर
		4	श्री संजय कुमार	राहुल मेडिकल स्टोर, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर
		5	श्रीमती किरण मिश्रा	ब्रम्ह मंदिर के सामने, बस स्टैण्ड के पास, अंबिकापुर
		6	श्रीमती मंजूषा भगत	शिवमंदिर के पास, वार्ड 02, गांधी नगर, अंबिकापुर
		7	श्री पी. आर. कश्यप	ब्रम्ह रोड, अंबिकापुर
		8	श्री शैलेन्द्र दुबे	दर्रीपारा, अंबिकापुर
25.	उप जेल सूरजपुर	1	श्री अनिल गोयल, अधिवक्ता	वकील कालोनी, सूरजपुर, जि.-सरगुजा
		2	श्री सतीश गर्ग	भैय्याथान रोड, सूरजपुर, जि.-सरगुजा
26.	उप जेल रामानुजगंज	1	श्री सुनिल गुप्ता, अधिवक्ता	रामानुजगंज
		2	श्री उदय रवि पार्षद	रामानुजगंज
27.	जिला जेल बैकुण्ठपुर	1	श्री कृष्णा बिहारी जायसवाल	बैकुण्ठपुर
		2	श्री रविशंकर शर्मा	पटना
		3	श्री राजाराम राजवाड़े	घुघरा सोनहत
28.	उप जेल मनेन्द्रगढ़	1	श्री पूनम बंसल	मनेन्द्रगढ़
		2	श्री सुरेश सोनी	मनेन्द्रगढ़
29.	उप जेल सारंगढ़	1	श्री नित्यानंद बानी	वार्ड नं. 06 सारंगढ़
		2	श्री दुर्गा प्रताप सिंह ठाकुर	वार्ड नं. 16, पैलपारा, सारंगढ़

Raipur, the 16th November 2011

No. F-1-10/Three-Jail/2011.—In exercise of the powers given in rule 815 (1) of Chhattisgarh Jail Manual the State Government hereby appoint following persons as non-official members for jails as given in columns mentioned below for 03 years from date of appointment :—

S. No. (1)	Name of Jail (2)	(3)	Name of non-official member (4)	Address (5)
1.	Central Jail, Raipur	1	Shri Ashok Thakur	Ramkund Near Laxminarayan Temple, Raipur.
		2	Shri Vishnu Namdev	Choonabhatthi Near Kali Mandir, Raipur
		3	Shri Shiv Bhoi	Goutam Nagar, Near Lakhey Nagar Chowk, Raipur.
		4	Shri Nemraj Bagh	Utkal Nagar, Aakashvani Civil Line, Raipur.
		5	Shri Sohan Janghel	Lodhi Para, Mahatma Gandhi Ward, Jaihind Chowk, Raipur.
		6	Shri Babla Hotwani	Babla Cement House, Santkanwar Ram Chowk, Katora Talab, Raipur.
		7	Smt. Nitu Soni	Dharam Nagar, Ganesh Chowk, Pankaj Vikram Ward, Raipur.
		8	Smt. Saraswati Aadil	Shriram Nagar, Changorabhatha, Raipur
2.	Sub Jail, Balodabazar	1	Shri Bhairav Dewangan	Village+Post-Arjuni, Tah.-Balodabazar
		2	Shri Surendra Tikariya	Village Post & Tah.-Balodabazar
3.	Sub Jail, Gariyaband	1	Shri Anoop Bhonsale	Mukam Post-Gariyaband
		2	Shri Rakesh Sharma	Mukam Post-Chhura
4.	District Jail, Dhamtari	1	Shri Siromani Rao Ghodpade	Dhamtari
		2	Shri Chainsingh Sahu	Parkhanda
		3	Shri Rakesh Choubey	Nagri Jila Dhamtari

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.	District Jail, Mahasamund	1	Shri Vipin Sharma	Mahasamund
		2	Shri Suresh Bhansal	Pithoura
		3	Shri Shanker Chandraker	Ward No. 01, Mahasamund
6.	Central Jail, Durg	1	Shri Ajay Tiwari	Yaduveer Bhawan Subhsh Nagar, Durg
		2	Shri Vijay Agrawal	Hudco Bhilai
		3	Shri Rana Prem Singh	Nehru Nagar, Bhilai
		4	Shri Jagdish Prasad Gupta	Rashmi Decoration Padmanabhapur, Durg
		5	Shri Rajendra Padhye	Buddha Vihar Chowk, Arya Nagar
		6	Shri Sandeep Jain	Jain Mandir Road, Godhi Chowk, Durg
		7	Smt. Parwati Dhidhi	Village+Post-Dhanora, Tah.-Durg
		8	Smt Madhu Sharma	Village-Umrebada Kasaridih, Durg
7.	Sub Jail, Balod	1	Shri Yadram Sahu	Gurur
		2	Shri Laxmi Chandan Nuncewaal	Purana Bus Stand, Balod
8.	Sub Jail, Bemetara	1	Shri Mintu Saluja	Panjabi Para, Bemetara
		2	Shri Dinesh Thakur	Bemetara
9.	District Jail, Rajnandgaon	1	Shri Sanjay Dewangan	Bajrangpur Nawagaon, Ward No. 01, Rajnandgaon.
		2	Shri Jashraj Rathod	Ward No. 35, Hathithan Para, Rajnandgaon
		3	Smt. Alka Deshmukh	Srushti Colony, Rajnandgaon
10.	Sub Jail, Dongargarh	1	Shri Prakash Chouradiya	Near Jain Mandir, Dongargarh.
		2	Shri Mobin Khan	Bhagatsingh Chowk, Dongargarh
11.	Sub Jail Kabirdham (Kawardha)	1	Shri Bharat Lal Soni, Advocate.	Rajmahal Chowk, Kawardha
		2	Shri Chandraprakash Rajput, Advocate.	Kabirdham
12.	District Jail, Kanker	1	Shri Sandeep Choubey	Manjha Para, Kanker
		2	Shri Pradeep Jaiswal	Singaarbhatha, Kanker
		3	Shri Bharat Matiyara	Thelkabod, Ekta Nagar, Kanker
13.	Sub Jail, Narayanpur	1	Shri Jagjit Singh Rathod	Purana Bus Stand, Narayanpur
		2	Shri Devi Singh Manjhi	Collectorate Road, Narayanpur
14.	Central Jail Jagdalpur	1	Shri Durga Rao	Balaji Ward, Circuit House Road, Jagdalpur
		2	Shri Tejnarayan Dubey	Opposite Goyal Dharmashala, Gandhinagar Ward, Jagdalpur.
		3	Smt. Manisha Tiwari	Ambedkar Ward, Main Road, Jagdalpur
		4	Smt. Malti Acharya	Subhash Ward, Punchrasta Chowk, Jagdalpur.
		5	Shri Manohardutt Tiwari	Opposite Luniaji's House, Ramaiya Ward, Jagdalpur.
		6	Smt. Chameli Yadav	Power House Chowk, Vijay Ward, Jagdalpur.
		7	Shri Ramesh Gandhi	Palace Road Natwarlal Dulan Das Hardware Shop, Jagdalpur.
		8	Shri Prem Thawani	Gole Bazar, Jagdalpur
15.	District Jail, Dantewada	1	Shri Durga Singh	Dantewada
		2	Shri Manoj Dev	Sukma
		3	Shri Raja Gupta	Gida
16.	Central Jail, Bilaspur	1	Shri Manoj Dubey	Village+Post-Sirgitti
		2	Shri Kamlesh Giri Goswami, Advocate.	Village-Chunchuniya, Post-Surgawan
		3	Shri Ramanuj Sriwas	Thana+Post-Masturi
		4	Shri Rajendra Agrahari	Village+Post-Matiyari Sipat
		5	Shri Narayan Taswadker	Madhya Nagriya Chowk, Bilaspur
		6	Shri Rinku Mitra	Vidhya Nagar Near Gayatri Mandir, Bilaspur.
		7	Smt. Sarojani Kurmi	Sipat Road Surkanda, Bilaspur

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
17.	Sub Jail, Pendra	1	Shri Bhagat Metwani	Gourel : Pendra
		2	Smt. Dina Bai Dhruw	Pendra Road, Bilaspur
18.	District Jail, Korba	1	Shri Nutan Kumar Rajwade, Advocate.	Power House Road Korba
		2	Shri Tirtheshwar Vaishnav	Durga Pandal Budhwani Bazar, K...
		3	Shri Rajkumar Agyey (Advocate)	Badhra Para, Balko
19	Sub Jail, Katghora	1	Shri Narendra Patankaer	Gram Latshira, Katghora
		2	Shri Shrawan Kumar Banjara	E-460 HTPP Colony Durri, Korba
20	District Jail, Janjgir	1	Shri Prashant Singh Thakur	Janjgir
		2	Shri Manharan Khunte	Mehandi
		3	Shri Ramavtar Agrawal	Station Road Sakti, District-Janjgir Champa.
21	Sub Jail, Sakti	1	Shri Ramavtar Agrawal	Sakti
		2	Dr. Khilawan Sahu	Nagarda
22.	District Jail, Raigarh	1	Shri Pramod Gupta	Village+Post-Tribhuwana, Block-Pusavra, District-Raigarh.
		2	Shri Gyaneshwar Singh Goutam.	Goutam Lodge, Civil Line, Daroga Para, Raigarh.
		3	Shri Manjul Dixit	Baikunthpur, Raigarh
23.	District Jail, Jashpur	1	Shri Alok Rai	Near Nagarpalika Office, Jashpur Nagar
		2	Shri Vikas Gupta	Bhagalpur
		3	Smt. Uma Sinha	Nagtholi
24.	Central Jail, Ambikapur	1	Shri Kanshinath Tiwari	Mission Chowk Near Hospital, Ambikapur.
		2	Shri Santosh Das	Near Power House Namnakala, Ambikapur.
		3	Shri Kailash Thakur	Ward No. 04, Gandhinagar, Ambikapur
		4	Shri Sanjay Kumar	Rahul Medical Store, Agrasen Chowk, Ambikapur.
		5	Smt. Kiran Mishra	Opposite Bramha Temple Near Bus Stand, Ambikapur.
		6	Smt. Manjusha Bhagat	Near Shivmandir, Ward No.-02, Gandhinagar, Ambikapur.
		7	Shri P. R. Kashyap	Bramha Road, Ambikapur
		8	Shri Shailendra Dubey	Durripara, Ambikapur.
25	Sub Jail, Surajpur	1	Shri Anil Goel, Advocate	Advocate Colony, Surajpur, District-Surguja.
		2	Shri Satish Garg	Bhaiyyathan Road, Surajpur District-Surguja.
26	Sub Jail, Ramanujgunj	1	Shri Sunil Gupta, Advocate	Ramanujgunj
		2	Shri Uday Ravi, Member of Municipal Council.	Ramanujgunj
27	District Jail, Baikunthpur	1	Shri Krishna Bihari Jaiswal	Baikunthpur
		2	Shri Ravishanker Sharma	Patna
		3	Shri Rajaram Rajwade	Ghughra, Sonhat
28.	Sub Jail, Manendragarh	1	Shri Poonam Bansal	Manendragarh
		2	Shri Suresh Soni	Manendragarh
29.	Sub Jail, Sarangarh	1	Shri Nityanand Bani	Ward No. 06, Sarangarh
		2	Shri Durga Pratap Singh Thakur.	Ward No. 16, Pailpara, Sarangarh

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विलियम कुजूर, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 दिसम्बर 2011

क्रमांक 01 क/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जांजगीर	बसंतपुर प.ह.नं. 41	1.63	कार्यपालन यंत्री, (सिविल) भू-अर्जन 2×500 मे.वा. मड़वा तेन्दूभाठा ताप विद्युत परियोजना, जांजगीर-चांपा (छ.ग.).	2×500 मेगावाट मड़वा तेन्दूभाठा ताप विद्युत परियोजना के अन्तर्गत डायरेक्ट रोड निर्माण हेतु (पूरक प्रकरण)

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 दिसम्बर 2011

क्रमांक क/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जांजगीर	कुलीपोटा प.ह.नं. 42	1.30	कार्यपालन यंत्री, (सिविल) भू-अर्जन 2×500 मे.वा. मड़वा तेन्दूभाठा ताप विद्युत परियोजना, जांजगीर-चांपा (छ.ग.).	2×500 मेगावाट मड़वा तेन्दूभाठा ताप विद्युत परियोजना के अन्तर्गत डायरेक्ट रोड निर्माण हेतु (पूरक प्रकरण)

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ब्रजेश चंद्र मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 26 दिसम्बर 2011

रा. प्र. क्र./2/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	वाड्रफनगर	भगवानपुर-जिरात	79.930	महाप्रबंधक (खान), छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन, रायपुर.	सोन्डिहा कोल परि-योजना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, वाड्रफनगर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 26 दिसम्बर 2011

रा. प्र. क्र./3/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	वाड्रफनगर	भगवानपुर-खास	222.774	महाप्रबंधक (खान), छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन, रायपुर.	सोन्डिहा कोल परि-योजना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, वाड्रफनगर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 26 दिसम्बर 2011

रा. प्र. क्र./4/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	वाड्रफनगर	इंजानी	65.900	महाप्रबंधक (खान), छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन, रायपुर.	सोन्डिहा कोल परि-योजना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, वाड्रफनगर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 26 दिसम्बर 2011

रा. प्र. क्र./5/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	वाड्रफनगर	सावित्रीपुर	11.380	महाप्रबंधक (खान), छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन, रायपुर.	सोन्डिहा कोल परि-योजना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, वाड्रफनगर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 26 दिसम्बर 2011

रा. प्र. क्र./6/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	वाड्रफनगर	बरतीकलॉ	30.660	महाप्रबंधक (खान), छत्तीसगढ़, मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन, रायपुर.	सोन्डिहा कोल परि-योजना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, वाड्रफनगर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. प्रसन्ना, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 24 नवम्बर 2011

क्रमांक 7/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 47 अ./82 वर्ष 2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-अभनपुर
- (ग) नगर/ग्राम-पौता, प.ह.नं. 28
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.38 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	804	0.24
	805	0.14
योग	2	0.38

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-पौता-खरखराडीह मार्ग पर कोल्हान नाला पुल के पौता की ओर पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग-अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, f म्बर 2011

क्रमांक/12/भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 10 अ./82 वर्ष 2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
  (क) जिला-रायपुर
  (ख) तहसील-आरंग
  (ग) नगर/ग्राम-सेंध, प.ह.नं. 68/21
  (घ) लगभग क्षेत्रफल-15.23 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	43/2	0.12
	57	0.03
	82	0.27
	98	0.30
	102/2	0.19
	104	0.33
	105	0.32
	128	2.23
	165	0.17
	176	0.20
	179	0.03
	180	0.04
	188/1	0.03
	190/1	0.03
	194	0.06
	195/1	0.03
	197	0.07
	201	0.05
	202	0.76
	212	0.14
	219	0.07
	228/1	2.08
	246	0.13
	288	0.15
	273/2	0.25
	277	0.30
	335/2	1.08
	359/1	0.08
	359/3	0.16
	362/1	0.65
	374/1	0.31
	390	0.66
	395	0.50
	396	0.27
	455	0.14
	501	0.72
	505/1	0.34
	507/1	0.16
	532	0.29
	543/1	0.05
	543/2	0.58
	551	0.86
योग	42	15.23

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-नया रायपुर के विकास एवं निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग-अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहित यादव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 25 नवम्बर 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 04/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कोरबा

(ख) तहसील-कटघोरा

(ग) नगर/ग्राम-लोतलोता

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.21 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
374/1	0.29
374/2	0.26
375/1	0.01
374/4	0.28
374/5क	0.07
374/5ख	0.07
374/5ग	0.07
374/5घ	0.06
374/6	0.26
374/7	0.15
374/8	0.13
375/2क	0.01
394/1	0.07
375/2ख	0.01
394/2क	0.03
375/4	0.01
375/5	0.01
394/2ख	0.01
394/2ग	0.02
394/2घ	0.02
394/3	0.09
394/4	0.04
394/5	0.04
422/3	0.20
योग 21	2.21

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-हसदेव ताप विद्युत गृह के लिए राखड़ बांध हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. एस. त्यागी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

न्यायालय, सक्षम अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) घरघोड़ा, जिला रायगढ़ (छ.ग.)

घरघोड़ा, दिनांक 2 दिसम्बर 2011

प्रारूप-ख
[नियम 5 (1) देखिये]

क्रमांक 5/अ 67/2011-12.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम कांटाझरिया, प.ह.नं. 36, तह. तमनार, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) से जल परिवहन हेतु ग्राम सलिहाभांठा, प.ह.नं. 32, तह.-तमनार, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) तक मेसर्स जिंदल पावर लिमिटेड, तमनार पोस्ट तमनार, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) द्वारा भूमिगत पाइपलाईन बिछायी जानी है,

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम कांटाझरिया, प.ह.नं. 36, तह. तमनार, जिला-रायगढ़ कि भूमि का जिसमें भूमिगत पाइपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)	(एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	तमनार	ग्राम-कांटाझरिया	6	0.28	0.690
		प.ह.नं. 36	7	0.036	0.090
			12	0.016	0.040
			15/4	0.056	0.140
			15/1	0.014	0.030
			15/3	0.02	0.050
			15/2	0.02	0.050
			14/2	0.16	0.400
			14/3	0.16	0.400
			14/4	0.16	0.400
			14/1	0.16	0.400
			13	0.24	0.590
		योग	12	**1.322**	**3.280**

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के 21 दिवस (इक्कीस दिवस) के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाए जाने के संबंध में, सक्षम अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, घरघोड़ा, रायगढ़ छत्तीसगढ़ को लिखित रूप से आक्षेप भेज सकेगा.

टीप :—

1. भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाये जाने के संबंध में नक्शा एवं नस्ती कार्यालय सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (रा.), घरघोड़ा जिला रायगढ़ (छ. ग.) में देखा जा सकता है.

घरघोड़ा, दिनांक 2 दिसम्बर 2011

प्रारूप-ख

[नियम 5 (1) देखिये]

क्रमांक 6/अ-67/2011-12.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम गोरखामुड़ा, प.ह.नं. 36, तह. तमनार, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) से जल परिवहन हेतु ग्राम सलिहाभांठा, प.ह.नं. 32, तह.-तमनार, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) तक मेसर्स जिंदल पावर लिमिटेड, तमनार पोस्ट तमनार, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) द्वारा भूमिगत पाइपलाईन बिछायी जानी है,

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम गोरखामुड़ा, प.ह.नं. 36, तह. तमनार, जिला-रायगढ़ कि भूमि का जिसमें भूमिगत पाइपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि	
				(हेक्टेयर में)	(एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	तमनार	ग्राम-गोरखामुड़ा	109	0.056	0.400
		प.ह.नं. 36	110	0.056	0.080
			52/1	0.032	0.080
			55/1	0.034	0.100
			57	0.08	0.420
			64/1	0.008	0.080
			68/1	0.056	0.000
			50	0.16	0.160
			52/2	0.032	0.100
			55/2	0.034	0.040
			60	0.04	0.110
			107	0.17	0.240
			100	0.033	0.080
			64/2		0.000
			56	0.064	0.160
			95	0.04	0.100
			108	0.016	0.040
			111	0.045	0.110
			103	0.096	0.240
			52/3	0.032	0.080
			55/3	0.034	0.080
			96	0.096	0.240
			97	0.176	0.430
			101	0.048	0.120
		योग	**24**	**1.438**	**3.490**

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के 21 दिवस (इक्कीस दिवस) के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाए जाने के संबंध में, सक्षम अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, घरघोड़ा, रायगढ़ छत्तीसगढ़ को लिखित रूप से आक्षेप भेज सकेगा.

टीप :—

1. भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाये जाने के संबंध में नक्शा एवं नस्ती कार्यालय सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (रा.), घरघोड़ा जिला रायगढ़ (छ. ग.) में देखा जा सकता है.

ए. के. वैष्णव,
सक्षम प्राधिकारी एवं
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)